elected Member of Lok Sabha from Tumkur constituency of Mysore State, has resigned his seat in Lok Sabha with effect from the 2nd April, 1965.

13.02 hrs.

STATEMENT *RE.* PRESIDENT'S HEALTH

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, I merely wanted to inform the House about the health of our President.

Shri Hem Barua (Gauhati): Is it in response to my "calling attention" notice?

Mr. Speaker: No.

Shri Lal Bahadur Shastri: I am glad to inform the House that Rashtrapati, Dr. Radhakrishnan, who underwent an eye operation for cataract extraction at a London clinic on March 22, 1965, has been making satisfactory progress. The bandages have been removed and Rashtrapatiji is now permitted to sit up and move about gently. He is scheduled to leave the clinic tomorrow. Thereafter, he will stay on in London for some more time for post-operative treatment. I am sure, the House would join me in wishing him complete and speedy recovery and safereturn.

श्री मधु लिमये (मुंगेर):**

Shri Raghunath Singh (Varanasi): No, Sir, we protest.

श्री मधु लिमये : **

Shri Vidya Charan Shukla (Mahasamund): Sir, this remark must be expunged from the proceedings. It cannot find a place in the record of the House.

Shri R. S. Pandey (Guna): This should be expunged from the record.

Mr. Speaker: If that is the desire, I have no objection to taking it out. It might be taken out.

श्री मधु लिमये : मेरी बात सुनिये, फिर आप हुक्म दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं।

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 5th April, 1965, will consist of:

(1) Further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of Ministry of Commerce.

(2) Discussion and voting on the Demands for Grants relating to the following Ministries:

Irrigation and Power.

Community Development and Co-operation.

Information and Broadcasting.

Rehabilitation.

Labour and Employment.

Transport.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I would like to submit that some of us, my hon. friend, Shri Madhu Limaye, myself and others, have tabled a No-day-yet-named Motion on the statement of the hon. Home Minister on the Proclamation of President's Rule in Kerala. Since this matter is of urgent public importance, I would request the hon. Minister, through you, that a discussion may be

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri S. M. Banerjee]

allowed as early as an opportunity offers itself.

श्री यशपालसिंह (कैराना) : हमारे देश की दो समस्यायें हैं। जो पार्लिमेंट है वह पार्लिमेंटरी एफेर्जि के मिनिस्टर साहब से चलती है और उसके ऊपर आपने एक मिनट भी बहस का नहीं रखा है । यह तो अन्दर की बात है । देश के बाहर जरूरत हमें एटोमिक एनर्जी की है । और उसकी बहस के लिए भी आपने पांच मिनट भी नहीं रखे हैं । देश बाहर और अन्दर किस तरह से ऐसी स्थिति में चलेगा ? इन दोनों के लिए आप समय रखिये ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यकम मई को शनिवार है और उस शनिवार को लोक सभा ने बैठना मंजूर किया है । यकम मई संसार भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है । उस दिन मजदूरों की छुटटी होती है । पार्लिमेंट के कर्मचारी भी बहुत से उस दिन को मनाने के लिए छुटटी रखते हैं । मेरा निवेदन है कि यकम मई को न बैठ कर उसके बजाय पहले या पीछे किसी शनिवार को हम बैठ जायें और यकम मई की छुटटी रखें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : जिन दिनों में अनुदानों की मांगों पर बहस चलती है उन दिनों में आपने व्यवस्था दे रखी है कि आध कघंटे की चर्चा कोई नहीं रखी जा सकती है । इसका दूसरा कारण यह भी है कि कि अधिवेशन छः बजे तक चलता है । उसके बाद जो अधिवेशन के दिन बाकी रह जाते हैं वे अधिक से अधिक सात ही रह जाते हैं, एक सप्ताह ही बचता है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय हो जिस पर आध घंटे की चर्चा मांगी जाए और उस पर सदन के सदस्य पचास से अधिक की संख्या में यहां बैठने के लिए तैयार हों तो आप इस बात की अनुमति दें कि उस महत्वपूर्ण विषय पर आध घंटे की चर्चा रखी जा सकनी है ।

अध्यक्ष मरोदय : ऐसा जरूरी होगा तो देख लेंगे ।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): May I invite your attention and the attention of the Minister to the rather ambitious programme set forth in Bulletin, Part I, of February 17 in which 34 Bills pending and new Bills have been listed besides the financial business and the non-legislative business? Therefore, last Friday I requested the Minister to make a statement today as to what the duration of the session, the closing date of the session, would be. I expected that he would make a statement today, but that has not been forthcoming. Latterly one more item has been added to the list, that is, the President's Proclamation on Kerala. That also has been listed in the business. We will be grateful if the Minister will make a statement next week.

There is one other point. I have with some degree of persistence, been requesting the Government to look into the need, if they feel like that, for an amendment of article 100 of the Constitution, and my plea has been reinforced by what happened here yesterday, in this House. My hon. friend, Shri Kachhavaiya, diligent and conscientious in discharging his duties as a Member of the House, has been trying to remind the House in his own way of its obligation under the Constitution with regard to the quorum of the House. I understand that yesterday a senior Member of the House, my hon. friend, Shri Jochim Alva, who normally displays the esteemable qualities of energy and intellingence assailed, with a zeal for a better cause, the right of a Member to raise the point of quorum here, and tripped when he did that, because the provision of quorum is applicable to the whole House, and every Member has got a right to raise the point of quorum at any time. Voluntarily if a member refrains, it is another matter.

And, therefore, it is incumbent upon the Government to bring forward a Bill, if they cannot maintain quorum. Your predecessor, Sir, Mr. Mavalankar, had also directed them that they should bring forward a Bill. If they do not do it, at least they should not permit their own Party Members to curtail the right of any Member of the House.

Mr. Speaker: He should not make a speech. Only attention is to be directed to such and such an item.

Shri Hari Vishnu Kamath: I have been raising this repeatedly. Nothing has been done. On the other hand, it is not being implemented ,and they are curtailing the right of the Members of the House to raise points of order with regard to quorum.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आपने दो तीन बार मुझ से यह कहा कि केरल में जो राष्ट्रपति का शासन है उस प्रश्न की वैधानिकता का सवाल यहां नहीं उठाया जा सकता । मैं यह मानता हूं । इसके लिये मैंने आपके पास ढाई घंटे वाली बहस के लिये एक बिना तिथि वाला प्रस्ताव भेजा है । आप संसदीय कार्य मन्त्री से यह कहें कि या तो वे ढाई घंटे की बहस रक्खें या जो मेरा बिना तारीख वाला प्रस्ताव है उसको मान लें । यह एक बात ।

दूसरी बत मेरी यह है कि अनुदानों पर चर्चा का जो कार्यक्रम बनाया गया है वह 19 तारीख तक का हमें मिला । उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई और तारीख की सूची आ जायेगी । लेकिन कोई सूची नहीं आई है । मैं जानना चाहता हूं कि जो डिमाण्ड नं० 109 लोक सभा सचिवालय के सम्बन्ध में है, क्या उस पर बहस करने के लिये कोई समय नहीं रक्खा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं रक्खा जायेगा ।

श्री मधु लिमये: क्यों नहीं रक्खा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में फैसल हो चुका है ।

श्री मधु लिमये : मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहन चाहता था कि जब कल मैंने कोरम का सवाल उठाया तो मेरे मित्र श्री आल्वा ने अपनी भाषा में कहा था . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने देखा है । आप का कहना ठीक है । वह बात उन्होंने गलत कही ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन्होंने कहा कि मैं बार बार उठता हूं, मुझे हमेशा के लिये हाउस से निकाला जाये । क्या यह उचित है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उसे उन्हें वापस लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप से मैंने कह तो दिया कि उचित नहीं है । और आप क्या चाहते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : आपने आश्वासन दिया था, आप को याद होगा, पिछली बैठक में सदन को कि रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारखाने में जो आग लग गई थी, जिसकी एन्क्वायरी की गई थी, उस पर बहस की जायेगी । इस बारे में क्या कार्रवाई की गई यह सदन जानना चाहता था । आपने आश्वासन दिया था और सरकार को आदेश दिया था. . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आदेश दिया था . . .

श्री अ० प्र० शर्मा : लेकिन सदन की पिछली बैठक में बहस नहीं हो सकी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सेशन में बहस की स्वीकृति दी जायेगी।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : आप की पार्टी के दो मेम्बरों ने तो कह दिया....

श्री किशन पटनायक : अगर आप इसी वजह से समय नहीं देंगे तो दूसरी बात है...

अध्यक्ष महोदय : अच्छा कह लीजिये, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री किशन पटनायक : मुझे दो बातें रखनी थीं। एक तो यह कि चीजों के मूल्यों पर और कई दूसरे मसलों पर आप के पास प्रस्ताव गये हैं। उन को जो समय मिलेगा उसे किस तरह से ऐडजस्ट किया जायेगा। इसकी वजह से अधिवेशन का देर तक के लिये एक्सटेंशन होगा या नहीं, यह अभी से मालूम हो जाना चाहिये। दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही बार में कह लीजिए।

श्री किशन पटनायक : यह पहली बार है जब बजट की बहस पर प्रधान मन्त्री के बारे में कोई बहस नहीं होगी। उनकी बात भी तो आ जानी चाहिये बहस में।

श्री सत्य नारायण सिंह : यहां कितने सवाल उठाये गये हैं, नहीं मालूम। मैं किन किन का जवाब दूं।

अध्यक्ष महोदय : The Proclamation issued by the Vice-President of India discharging the functions of the President on the 24th March, 1965. जो है उस का मोशन आया है सरकार की तरफ से उसको वक्त दिया जाये।

श्री सत्य नारायण सिंह : अब सवाल यह है कि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं...

अध्यक्ष महोदय : कामत साहब के कोरम का सवाल तो हर हफ्ते चलता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं उन्हें बतला दूं कि हम अभी बिल तैयार कर रहे हैं। वे इस बात को कबूल करेंगे कि जब तक फाइनेन्शल विजिनेस खत्म नहीं हो जाता, लेजिस्लेटिव विजिनेस कैसे लिया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा ही सवाल नहीं है, सारे हाउस का सवाल है।

श्री सत्य नारायण सिंह : सारे हाउस का सवाल है, लेकिन आप सबसे ज्यादा प्रवर्तक हैं उसके। अगर, अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत हो तो मैं बहुत अदब से कहूं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से बिल तैयार कर रहे हैं। मैं अपने मित्र श्री कछवाय से भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी लड़ाई इस तरह की हो जाया करती है। उन्हें हक है कोरम का प्रश्न उठाने का, इसमें कोई शक नहीं है और जो कुछ मेरे भाई श्री आल्वा ने कहा, वह उचित नहीं था, यह सही है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मन्त्री महोदय कभी किसी को भाई कहते हैं और भी कभी किसी को मित्र कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है। इस हाउस में कुछ डिगनिटी तो रहनी चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं भाई और मित्र में कोई फर्क नहीं मानता।

श्री बागड़ी : आप मित्र को भाई समझते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : ठीक है। लेकिन मैं नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहना उनके लिये उचित था। मैंने बहुत ग्रदब से उनसे पहले भी कहा था कि हम बिल ला रहे हैं। लेकिन जब कभी कभी लड़ाई होती है तो उसमें ट्रस भी हो जाया करता है, भले ही ग्राप उसे ग्रनइज़ी ट्रस कह लें। इतनी बार कोरम का सवाल उठे यह किसी को ग्रच्छा नहीं लगता है।

श्री बाजी (इन्दौर) : ग्राप लंच इंटरवेल का प्राविजन कर दीजिये। ऐसा ग्राप क्यों नहीं करते हैं कि . . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : इंटरवेल करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गवर्नमेंट भी इस के हक में है। गवर्नमेंट ने मुझ से कहा था। लेकिन मुझे डर है कि जब लंच इंटरवल होगा ग्रौर मैम्बर लोग घर जायेंगे तो उस के बाद वह बहुत कम ग्रायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : तजुर्बा कर के देखिये।

ग्रध्यक्ष महोदय : मुझे यह डर है ग्रगर इंटरवल हो जायेगा तब भी लोग नहीं ग्रायेंगे। ग्राप इंटरवल का फैसला करना चाहें तो ग्रभी कर लें, मुझे इंटरवल से कोई ऐतराज नहीं है। (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : ग्रगर ग्रधिवेशन शाम को रक्खा जाये, तो सब ग्रा जायेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : यहां पर इंटरवल का सवाल ग्राया। ग्राप ने कहा ग्रौर मैं ने खुद इस पर गौर किया। लेकिन ग्रगर यह सवाल 1 बजे से 2।। बजे के बीच में उठता तो कुछ कहने की बात होती। लेकिन इस का तो कोई समय ही निर्धारित नहीं है। 5 बजे, 4 बजे यह उठ जाता है, जब चाहा तब उठा दिया। इसलिये लंच इंटरवल से इस को जोड़ना उचित नहीं है। हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा कि हम खाना खा कर ग्राते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन की ग्रंग्रेजी ढंग से एक बजे खाना खाने की ग्रादत हो गई है। वह बेचारे कहते हैं कि उन के पास सवारी नहीं है कि वह जायें ग्रौर फिर ग्रायें। श्री कछवाय के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है कि वह 1 बजे ग्रौर $2\frac{1}{2}$ बजे के बीच में ही इस सवाल को उठायें। वे हमेशा ही इस को उठाते रहते हैं, लंच टाइम हो या न हो। इस लिये लंच इंटरवल का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर कोई हक की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन क्या मैं उन से दरख्वास्त कर सकता हूं ग्रौर हाउस की तरफ से कह सकता हूं कि वह इस बात को मान लें कि कम से कम जब तक यह कोरम बिल नहीं ग्रा जाता है, डिमान्ड्स को हो जाने दें। होता क्या है कि जो समय जाता है वह हाउस का जाता है। किसी भी डिमान्ड पर बहस कीजिये, ग्रगर दस मर्तबे कोरम बैल बजती है तो हर बार उस में ढाई मिनट जाते हैं। इस तरह से 25 मिनट चले जाते हैं। यह समय किस का गया। गवर्नमेंट तो खुश है। हमें गाली सुनने का कम मौका मिलेगा। वह समय कट जाता है। इस लिये ग्राप जरा गम्भीरता से इस को सोच लीजिये। क्या उन को हर समय इस सवाल को यहां उठाना चाहिये। हम लोग बिल तैयार कर रहे हैं। ग्राप के सामने उसे लायेंगे जो कुछ होगा। लेकिन तब तक मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक ग्राध बार मजाक कभी हो गया तो हो गया, लेकिन हर दो मिनट पर कोरम का सवाल उठाना ठीक नहीं है। ग्राखिर इस हाउस की कोई डिगनिटी है। ग्रगर किसी कानून से इस हाउस की डिगनिटी कम होती है तो उस को तोड़ देना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान को बदल लो।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं तो कहता हूं कि लायेंगे। कामत साहब इस हाउस के बड़ पुराने ग्रौर मोग्रज्जिज़ मेम्बर हैं। वह बचारे . . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस सवाल को दस सालों से ला रहा हूं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : आप उन नौजवान मित्र को समझाइये । अगर आप कोरम की बात यहां हर समय लाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं । *(Interruptions)*. अच्छा, जो कहना हो कहें, जो तबियत हो आप करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : साढ़े दस बजे से डेढ़ बज तक और तीन बज से छः बजे तक ।

Shri Daji: You put a Calling Attention Notice after the lunch interval. Then everyone will be present.

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस को मंजूर हो मुझ कोई एतराज नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : वह अलग सवाल है ।

Shri Shinkre: I have got one submission to make. Most of the Members are sitting in the Central Hall. As soon as the Quorum Bell is rung, the Members come in. They are sitting in the Central Hall. So, some provision be made to stop them from permanently occupying the Central Hall.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं कि मैं यह प्रोपोजल हाउस के सामने रख दूं तो मैं रखने के लिये तैयार हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : दो बजे से ले कर आठ बज तक हाउस को बैठना चाहिये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : 1 मई के दाद क्या करना है वह तो आप को फैसला करना है । एक दो डिमान्ड्स के बारे में ठाकुर साहब ने सवाल उठाया । आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारा काम चल रहा है । मुझ को तो ऐसा लग रहा है कि जो डिमान्ड्स चल रही हैं, जिन के बारे में हम ने प्रोग्राम अनाउंस किया है, उस को ही गिलोटिन करना पड़ेगा । आप ने तो कोशिश की है कि शड्यूल . . . . .

श्री दी० चं० शर्मा : स्पीकर साहब के पास लिस्टें भेज दी जाती हैं बोलने वालों की, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिलता ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यहां किसी को बुलाने या न बुलाने की बात नहीं है । जो समय निर्धारित है हाउस के लिये उस के मुताबिक पूरा टाइम नहीं मिलेगा बहस के लिये । जहां तक नो डे यट नेम्ड मोशन का सवाल है आखिर उस के लिये टाइम तो चाहिये । हां, अगर कोई ऐसी जरूरी बात है जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन का सवाल है, अगर वह सोमवार को हुआ तो वह तो आयेगा ही । लेकिन वह भी जो समय होगा वह किसी न किसी डिमांड पर पड़ेगा क्योंकि उधर आप समय नहीं बढ़ा सकते ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

श्री मधु लिमये : मैंने जो अनुदानों के बारे में सवाल उठाया था . . .

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा के अनुदानों के बारे में ?

श्री मधु लिमये : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : उनके बारे में तो पहले फैसला हो चुका है । अब इस सवाल को नहीं लाया जा सकता । पहले सवाल उठाया गया था उसका फैसला हो चुका है ।

श्री मधु लिमये : मुझे भी वह फैसला बतला दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक मेम्बर को उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता ।

श्री मधु लिमये : संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। दस्तूर संविधान के अनुकूल होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में फैसला हो चुका है।

श्री मधु लिमये : वह फैसला मुझे बतला दीजिये। मैं सुनने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनने को तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं बतला सकता।

श्री मधु लिमये : सोमवार को बतला दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोमवार का वायदा नहीं करता।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): There was a question which the hon. Minister did reply to, which you also had mentioned to him, about the Kerala Proclamation.

Mr. Speaker: The notice of that motion or resolution has come. The hon. Member wants to know when it is likely to be taken up.

श्री मधु लिमये : जब मैं एक संविधान का मामला आपके सामने पेश कर रहा हूं—

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कर रहा हूं और आप बीच में दखल दे रहे हैं।

श्री मधु लिमये : दखल देने की बात नहीं है। मैंने संविधान के संबंध में सवाल उठाया है, उसका फैसला मुझे मालूम होना चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : आप इनको नेम कर दीजिये।

श्री मधु लिमये : क्या संविधान का प्रश्न उठाना कोई अपराध है? क्या हम भिखमंगे हैं? हमको जनता ने चुना है इसलिये यहां आए हैं। आप बार बार हमको निकाल देने की बात करते हैं। उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : माननीय सदस्य आपके कमरे में जाकर सुन सकते हैं, हाउस का वक्त न लें।

श्री मधु लिमये : यह कमरे में सुनने का सवाल नहीं है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं अपने मित्रों से अदब से प्रार्थना करूंगा—

अध्यक्ष महोदय : आपकी प्रार्थना का क्या असर होगा जब मेरी का नहीं होता।

श्री बागड़ी : पहली मई के बारे में क्या जवाब दिया ?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में देखा जाएगा।

13.22 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MINISTRY OF CIVIL AVIATION—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministry of Civil Aviation.

Shri Daji (Indore): While we are discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Civil Aviation, the first point that strikes is in regard to what the report of the Ministry has called as non-scheduled airlines.

There are seven or eight of these non-scheduled lines. The report classifies them only as non-scheduled lines. But the actual fact is that these lines are not non-scheduled. A non-scheduled line is one which works without any regularly drawn-up schedule. But these lines have a regular schedule. It is advertised in